भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2576

04 अगस्त, 2026 को उत्तरार्थ

विषय: दालों में आत्मनिर्भरता के लिए मिशन का कार्यान्वयन

†2576. श्री सुधाकर सिंहः

क्या **कृषि और किसान कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में छह वर्षों के लिए कार्यान्वित "दालों में आत्मनिर्भरता के लिए मिशन" के तहत क्षेत्र विस्तार, उत्पादकता में वृद्धि और कुल घरेलू उत्पादन में वृद्धि के मामले में अब तक हुई प्रगति का वर्ष-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि इस मिशन के तहत बिहार सहित पूर्वी राज्यों में न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) ढांचे के तहत दालों की सरकारी खरीद बढ़ाने और किसानों की भागीदारी का विस्तार करने के लिए विशेष प्रयास किए गए हैं और यदि हां, तो अब तक हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार ने विभिन्न राज्यों में दालों की उत्पादकता में मौजूद क्षेत्रीय असमानताओं का आकलन किया है और यदि हां, तो सरकार द्वारा इन अंतरालों को समाप्त करने तथा दालों के आयात पर निर्भरता कम करने के लिए क्या ठोस कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क): भारत सरकार ने अक्टूबर, 2025 में दलहन आत्मनिर्भरता मिशन प्रारंभ किया है। 11,440 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय के साथ, इस मिशन का उद्देश्य वर्ष 2025-26 से 2030-31 तक छह वर्ष की अवधि में घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना और दलहन आत्मनिर्भरता प्राप्त करना है। भारत में दलहन का उत्पादन वर्ष 2024-25 के 256.83 लाख टन से बढ़कर वर्ष 2025-26 के दौरान 274.09 लाख टन हो गया है। इसी तरह, दलहन के अंतर्गत क्षेत्र 277.20 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 286.46 लाख हेक्टेयर हो गया है और इसी अवधि के दौरान दलहन की उत्पादकता 926 किलोग्राम/हेक्टेयर से बढ़कर 957 किग्रा/हेक्टेयर हो गई है। वर्ष 2024-25 और 2025-26 के दौरान दलहन के राज्यवार क्षेत्रफल, उत्पादन और उपज का अनुबंध-I में विवरण दिया गया है।

(ख): प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा) की मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस) के तहत, अधिसूचित दलहन (अरहर, मूंग, उड़द, मसूर और चना) की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर राज्य सरकारों के अनुरोध पर की जाती है, जब बाजार मूल्य एमएसपी से नीचे गिर जाते हैं और इस प्रकार किसानों को उनकी कृषि उपज के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित किया जाता

है। दलहन के घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए, सरकार इस योजना के अंतर्गत पूर्व पंजीकृत किसानों से तुअर, उड़द और मसूर की खरीद कर रही है, जितनी उनके द्वारा केन्द्रीय नोडल एजेंसियों अर्थात भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड (नेफेड) और भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड (एनसीसीएफ) के माध्यम से की जाती है। अन्य दलहन के लिए, केंद्र सरकार द्वारा खरीद की कुल मात्रा सीजन के लिए राज्य में विशेष दलहन के उत्पादन के 25% तक सीमित है। पूर्वी राज्यों के लिए वर्ष 2025-26 के दौरान पीएसएस के तहत की गई दलहन की खरीद का ब्यौरा अनुबंध-II में दिया गया है।

(ग): विभिन्न राज्यों में दलहन की उत्पादकता कई कारकों से प्रभावित होती है, जिसमें मिट्टी की दशा, सिंचाई का स्तर, मौसम, वर्षा, तापमान, भू-जोत का आकार, उपयोग किए जा रहे बीजों के प्रकार, खाद/उर्वरक का उपयोग, कृषि पद्धतियां आदि शामिल हैं। दलहन की उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए, दलहन मिशन के तहत, राज्य सरकारों के माध्यम से किसानों को विभिन्न कार्यकलापों जैसे कि बीजों जारी की नई किस्में, उच्च उपज वाली और जलवायु अनुकूल किस्मों का उत्पादन और वितरण, फसल उत्पादन प्रौद्योगिकियों का प्रदर्शन, बीज किट वितरण, क्षमता निर्माण और फसलोपरांत इन्फ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ करने के लिए सहायता प्रदान की जाती है। इस मिशन के अनुसंधान एवं विकास घटक के तहत, दलहन का उत्पादन और उत्पादकता में सुधार के लिए कार्यनीतिक और अनुकूलनीय अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

इसके अतिरिक्त, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर)- आईसीएआर-भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, कानपुर और इसके क्षेत्रीय स्टेशनों पर दलहन फसलों बुनियादी और कार्यनीतिक अनुसंधान कर रहा है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद दलहन की उत्पादकता क्षमता और उत्पादन में वृद्धि करने के लिए स्थान-विशिष्ट उच्च उपज देने वाली किस्मों को विकसित करने तथा उत्पादन प्रौद्योगिकी पैकेजों को अनुकूलित करने हेतु राज्य कृषि विश्वविद्यालयों/अनुसंधान संस्थानों के सहयोग से दलहन संबंधी अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना (एआईसीआरपी) के माध्यम से प्रायोगिक अनुसंधान भी कर रहा है। इसके परिणामस्वरूप, पिछले 11 सालों (2014-2025) में देश में खेती के लिए दालों की कुल 473 ऐसी किस्में नोटिफ़ाई की गई हैं जो ज़्यादा पैदावार देती हैं और मौसम के बदलाव को झेल सकती हैं। इनमें चना (118), अरहर (66), मूंग (69), उड़द (62), मसूर (50), मटर (39), लोबिया (29), कुलथी (9), राजमा (9), फाबा बीन (5), ग्वार (5), भारतीय बीन (3), मोठ बीन (5) और लैथिरस (4) किस्में शामिल हैं।

अनुबंध-I

वर्ष 2024-25 और 2025-26 के दौरान दलहन का राज्यवार क्षेत्रफल, उत्पादन और उपज इस प्रकार है:-

राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	क्षेत्रफल (लाख हेक्टेयर)		उत्पादन लाख टन)		उपज (किग्रा/हेक्टेयर)	
	2024-25	2025-26	2024-25	2025-26	2024-25	2025-26
आंध्र प्रदेश	11.38	13.88	9.96	15.71	875	1132
असम	1.71	1.61	1.38	1.29	806	799
बिहार	4.45	4.51	3.91	4.08	879	906
छत्तीसगढ़	5.28	5.62	4.01	4.24	759	754
गुजरात	13.2	15.52	20.22	23.02	1532	1483
हरियाणा	0.74	1.04	0.82	0.9	1117	864
हिमाचल प्रदेश	0.3	0.29	0.52	0.48	1739	1679
झारखंड	8.99	7.28	9.63	7.88	1072	1082
कर्नाटक	34.08	29.82	18.87	15.65	554	525
केरल	0.01	0.01	0.01	0.01	798	901
मध्य प्रदेश	44.39	43.34	52.38	53.48	1180	1234
महाराष्ट्र	49.87	49.94	50.35	50.79	1010	1017
ओडिशा	7.84	10.11	5.16	6.91	659	683
पंजाब	0.37	0.35	0.34	0.32	903	925
राजस्थान	54.06	60.32	39.28	44.73	727	742
तमिलनाडु	7.32	6.15	3.63	3.8	496	618
तेलंगाना	3.54	3.32	3.99	3.71	1128	1116
उत्तर प्रदेश	23.41	27.26	26.31	30.97	1124	1136
उत्तराखंड	0.49	0.51	0.48	0.47	977	919
पश्चिम बंगाल	4.33	4.14	4.22	4.31	973	1040
अन्य राज्य	1.44	1.44	1.36	1.34	944	931
अखिल भारतीय	277.2	286.46	256.83	274.09	926	957

अनुबंध-II

पूर्वी राज्यों में वर्ष 2025-26 के दौरान पीएसएस के अंतर्गत दलहन की खरीद का विवरण:

(दिनांक 09.07.2026 की स्थिति के अनुसार)

राज्य	वस्तुएं	खरीद (मीट्रिक टन में)	एमएसपी मूल्य (रुपये करोड़ में)	लाभान्वित किसानों की संख्या
बिहार	मसूर	2,982.18	20.88	740
ओडिशा	मूंग	14,900.85	130.65	9,490
	उड़द	756.00	5.90	312
	तुअर	1,354.20	10.83	478

नोट: वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान दलहन की खरीद के लिए झारखंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।
